प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा मे,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्र सं0: एस0पी0एम0यू0 / NPCB / दि0 नि0 / 4 / 2012–13 / 777-79 दिनांक: 20/7/12

विषय : नेशनल डिजीज़ कन्ट्रोल प्रोग्राम के राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में जनपदवार, मदवार अवमुक्त धनराशि एवं तद्सम्बन्धी दिशा–निर्देश।

महोदया / महोदय,

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की राज्य कार्य योजना वर्ष 2012–13 में नेशनल डिजीज़ कन्ट्रोल प्रोग्राम के अन्तर्गत राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम हेतु कुल ₹ 5178.80 लाख की धनराशि का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया था, जिसके सापेक्ष आर0ओ0पी0 2012–13 के **एफ0एम0आर0 कोड सं0–एच** के अन्तर्गत ₹ 2453.68 लाख की धनराशि भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की गई है।

2. राज्य कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 26.06.2012 में राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत उपर्युक्त अनुमोदित धनराशि के सापेक्ष राज्य स्तर के लिए ₹ 512.80 लाख तथा जनपद स्तर के लिए ₹ 1940.88 लाख इस प्रकार कुल ₹ 2453.68 लाख की धनराशि के उपयोग का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

3. राज्य कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम की जनपदों से प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद स्तर की पूर्व वर्षों की कमिटेड लायबिलिटी (2009–10 की ₹ 40.78665 लाख, 2010–11 की ₹ 240.47772 लाख एवं वर्ष 2011–12 की ₹ 222.064 लाख) कुल ₹ 503.32837 लाख है जबकि भारत सरकार द्वारा राज्य कार्य योजना 2012–13 में राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपदों की कमिटेड अवशेष घनराशि ₹ 373.92 लाख इंगित करते हुए वर्ष 2012–13 में व्यय करने की अनुमति प्रदान की गई है।

4. कमिटेड लायबिलिटी की उपर्युक्त भिन्नता के कारण राज्य कार्यक्रम अधिकारी द्वारा दिनांक 01.04.2012 को जनपदों में अवशेष धनराशि के सापेक्ष वर्ष 2011–12 की कमिटेड लायबिलिटी ₹ 222.06 लाख की धनराशि को समायोजित करते हुए वर्ष 2012–13 की स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष विजन सेन्टर (मद संख्या एच 2.5) में शत–प्रतिशत तथा शेष मदों में 50 प्रतिशत धनराशि निम्नलिखित सारिणी के अनुरूप जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में अवमुक्त की जा रही है–

S. no	Name of the District	Balance as on 31/05/2012	Committed Liabilities on the basis of CMO's Report of 2011-12	Net Balance	Approved Amount in ROP 2012-13	Amount Proposed to be released as 1st Installment to districts against approved (6 months)	Net amount to be released to the districts after adjusting the net balance available in the DHS
1	2	3	4	5	6	7	8 (7-5)
1	Agra	2919072	0	2919072	4321203	2210602	0
2	Firozabad	672690	0	672690	2479748	1289874	617184
3	Mainpuri	1198985	0	1198985	1825955	937977	0
4	Mathura	2595037	196750	2398287	2498227	1299113	0
5	Aligarh	2224846	0	2224846	3583337	1841668	0
6	Kashi Ram Nagar	1475077	0	1475077	1402167	726084	0

...2

7	Etah	1214937	36750	1178187	1777641	938820	0
8	Hathras(M.M.Nagar)	1152849	197250	955599	1535959	792980	0
9	Azamgarh	3544373	0	3544373	4267068	2183534	0
10	Ballia	1297614	0	1297614	3129541	1614771	317157
11	Mau	1273328	0	1273328	2211132	1155566	0
12	Allahabad	3265492	1410325	1855167	5807450	2953725	1098558
13	Pratapgarh	180186	1021925	-841739	3056927	1578464	2420203
14	Fatehpur	598773	706250	-107477	2575676	1312838	1420315
15	Kaushambi	42539	1206000	-1163461	1512507	756253	1919714
16	Bareilly	911555	0	911555	4308197	2204098	1292543
17	Badaun	213329	0	213329	3446506	1723253	1509924
18	Pilibhit	2020918	0	2020918	2017993	1033996	0
19	Shahjahanpur	1336141	0	1336141	2840809	1445405	109264
20	Banda	1500453	0	1500453	1735321	867660	0
21	Chitrakut	946365	0	946365	995689	497844	0
22	Hamirpur	838579	327750	510829	1172381	586190	75361
23	Mahoba	588320	0	588320	948001	474000	0
24	Gonda	2095228	0	2095228	3256673	1678337	0
25	Bahraich	630154	458811	171343	3296643	1698322	1526979
26	Shravasti	1115841	0	1115841	1101346	550673	0
27	Balrampur	500536		500536	2058358	1054179	553643
28	Barabanki	3007146	1467500	1539646	3158889	1629444	89798
29	Faizabad	405587	25500	380087	2405535	1252767	872680
30	Ambedkar Nagar	2254462	0	2254462	2376156	1238078	0
31	Sultanpur	1011979	0	1011979	2284271	1192135	180156
32	C.P.S.M. Nagar	2193026	0	2193026	1409907	704954	0
33	Basti	1604824	0	1604824	2449386	1274693	0
34	Siddharthnagar	1878732		1878732	2478174	1289087	0
35	Sant Kabir Nagr	1108940	0	1108940	1687673	893836	0
36	Deoria	78554	256400	-177846	3067904	1583952	1761798
37	Kushinagar	1991370	0	1991370	3336975	1718488	0
38	Gorakhpur	2946155	0	2946155	4183476	2141738	0
39	Maharajganj	191092		191092	2573532	1336766	1145674
40	Jalaun	1220957	0	1220957	1625520	812760	0
41	Jhansi	276398	0	276398	2056822	1078411	802013
42	Lalitpur	382304	0	382304	1239424	619712	237408
43	Etawah	1819643	0	1819643	1647409	873705	0
44	Farrukhabad	2041478	1450879	590599	1860445	955222	364623
45	Kanpur(Urban)	1730214	4654625	-2924411	4229918	2164959	5089370
46	Kanpur(Dehat)	336688	0	336688	1861509	955754	619066
47	Kannuaj	2903129	1504409	1398720	1564586	782293	0
48	Auraiya	937769	0	937769	1321096	660548	0
49	Hardoi	331690	252000	79690	3839415	1969708	1890018
50	Kheri	2423452	0	2423452	3773080	1936540	0
51	Lucknow	7670247	0	7670247	5028180	2564090	0
52	Raibareilly	1026428	565800	460628	3303292	1701646	1241018

....3

53	Sitapur	2654050	0	2654050	4145988	2122994	0
54	Unnao	524134	1136500	-612366	2983177	1541588	2153954
55	Blandshahar	1826788		1826788	3333894	1716947	0
56	Gautambudh Nagar	968012	0	968012	1908848	954424	0
57	Gaziyabad	310350	3255000	-2944650	2620220	1335110	4279760
58	Panchsheel Nagar	0	0	0	1816307	908154	908154
59	Meerut	437685	608550	-170865	3465280	1782640	1953505
60	Bagpath	1158245	0	1158245	1261231	630615	0
61	Muzaffar Nagar	3792742	150000	3642742	2174407	1137204	0
62	Prabudh Nagar	0	0	0	1816307	908154	908154
63	Saharanpur	1224617	0	1224617	3234699	1642350	417733
64	Mirzapur	991442	1213776	-222334	2407915	1253958	1476292
65	Sonbhadra	154322	0	154322	1919062	1009531	855209
66	Sant Ravi das Nagar	1049337	103650	945687	1476174	738087	0
67	Bijnore	2365902	0	2365902	3471954	1785977	0
68	Moradabad	1425096	0	1425096	2895423	1497712	72616
69	Bheem Nagar	0	0	0	1816307	908154	908154
70	Rampur	2769339	0	2769339	2372245	1236122	0
71	Jyoti Ba Phule Nagar	1205497	0	1205497	1718817	859409	0
72	Ghazipur	2113491	0	2113491	3388867	1744434	0
73	Varanasi	1443101	0	1443101	3844467	1972233	529132
74	Jaunpur	1543917	0	1543917	4246322	2198161	654244
75	Chandauli	184220	0	184220	1845057	922528	738308
Total		**106267768**	**22206400**	**84061368**	**194088000**	**99544000**	**43009683**

5. अवमुक्त की गई धनराशि का जनपदवार, मदवार विवरण संलग्नक–1 पर दिया जा रहा है।

6. उपर्युक्त सारिणी के कॉलम 3 में जनपदों में दिनांक 31.05.2012 को दर्शायी गई अवशेष धनराशि तथा कॉलम 4 में दर्शायी गई वर्ष 2011–12 की कमिटेड लायबिलिटी की भिन्नता की स्थिति में सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा सुसंगत अभिलेखों के साथ उक्त की सूचना राज्य कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम को दी जाएगी। राज्य कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम द्वारा जनपदों से प्राप्त उक्त सूचनाओं को संकलित कर उसे नियमानुसार समायोजित करते हुए कार्यक्रम के अन्तर्गत अगली किस्त के निर्गत किए जाने का अनुरोध इस कार्यालय से किया जाएगा।

7. उपर्युक्त सारणी में इंगित जनपद प्रबुद्धनगर की धनराशि जनपद मुजफ्फरनगर, जनपद पंचशीलनगर की धनराशि जनपद गाजियाबाद तथा जनपद भीमनगर की धनराशि जनपद मुरादाबाद की जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में अवमुक्त की जा रही है क्योंकि नव निर्मित उक्त जनपदों में जिला स्वास्थ्य समिति का गठन/बैंक खाता अभी नहीं है। उक्त धनराशि संबंधित जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों की मांग के अनुसार संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा उन्हें उपलब्ध कराई जायेगी।

8. धनराशि का आवंटन मात्र, आपको व्यय करने के लिए प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रकिया का पालन करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि अवमुक्त की गई है उसी कार्यक्रम/मद में व्यय उसी सीमा तक नियमानुसार किया जाये।

9. अवमुक्त की जा रही धनराशि से सम्बन्धित भौतिक तथा वित्तीय प्रगति की सूचना के साथ जनपदों में अवशेष धनराशि एवं अवशेष देनदारियों की जनपदवार कारण सहित स्पष्ट सूचना राज्य कार्यक्रम अधिकारी,

....4

राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम द्वारा उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही कार्यक्रम के अर्न्तगत अवशेष धनराशि की अगली किस्त अवमुक्त की जायेगी।

10. अवमुक्त की जा रही धनराशि के उपयोग एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश निम्नवत् है–

1. **मोतियाबिन्द ऑपरेशन हेतु धनराशि (एच 1.1)**

- मोतियाबिन्द अन्धता के मरीजों के सभी आपरेशन सरकारी/एन0जी0ओं0 के बेस चिकित्सालय के मानकानुसार विसंक्रमित ओ0टी0 में आई0ओ0एल0 विधि द्वारा किये जायेंगें तथा ऑपरेशन के लिए अनुमन्य निःशुल्क परिवहन की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी ।
- जिला चिकित्सालयों, मेडिकल कॉलेजों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्थापित आई0ओ0एल0 केन्द्रों, स्वैच्छिक संस्थाओं के चिकित्सालयों पर कैटरेक्ट ऑपरेशन की व्यवस्था सुनिश्चित की जायगी।
- सभी ऑपरेशन के मरीजों का फालोअप करके आवश्यकतानुसार सही चश्मे की जांच तथा चश्मे की आपूर्ति की निःशुल्क व्यवस्था की जायेगी ।
- आई0ओ0एल0, स्माल इन्सिजन कैटरेक्ट सर्जरी (SICS) तथा फेको विधि से कैटरेक्ट ऑपरेशन हेतु प्रशिक्षित नेत्र शल्यकों द्वारा ही सम्बन्धित आपरेशन किया जायेगा।
- अनुमानतः 30 प्रतिशत ऑपरेशन सरकारी इकाईयों द्वारा, 20 प्रतिशत कार्यक्रम द्वारा वित्तपोषित स्वयंसेवी संस्थाओ द्वारा एवं शेष स्ववित्त पोषित संस्थाओं तथा निजी इकाईयों के शल्यकों द्वारा सम्पादित किया जायेगा।
- प्रदेश में प्रत्येक ऑपरेशन पर निम्नवत अनुदान प्रदान किया जायेगा :

क्र0 सं0	आइटम	सरकारी चिकित्सालय		एन0जी0ओ0	
		सामान्य विधि	आई0ओ0एल0/ एस0आईसी0एस0 /फेको विधि	सामान्य विधि	आई0ओ0एल0/ एस0आईसी0एस0/ फेको विधि
1	ड्रग्स, कन्ज्यूमेबिल्स, ब्लेड/सूचर, विस्कोइलास्टिक्स, लेन्स एवं एडिशन कन्ज्यूमेबिल्स	200.00	450.00	200.00	450.00
2	चश्मा	125.00	125.00	125.00	125.00
3	ट्रान्सपोर्ट/पी0ओ0एल	100.00	100.00	100.00	100.00
4	आर्गेनाइजेशन एवं पब्लिसिटी	75.00	75.00	75.00	75.00
	कुल राशि	**500.00**	**750.00**	**500.00**	**750.00**

राजकीय इकाइयों मे आई0ओ0एल0, आपरेशन के चश्में तथा बच्चों को प्रदान किये जाने वाले चश्में जनपद स्तर पर राजकीय कय नियमो के अन्तर्गत ही किया जायेगा। कार्यक्रम कें अन्तर्गत होने वाले मोतियाबिन्द आपरेशनों हेतु सहयोग करने वाली नान सर्जिकल स्वैच्छिक संस्थाओं, आशा कार्यकर्ती, पंचायत कर्मी, आई0सी0डी0एस कर्मियों को मोतिबिन्द ग्रसित रोगियों की पहचान कर आपरेशन हेतु आपरेशन स्थल तक लाने, आपरेशन कराकर घर वापस ले जाने तथा पूर्ण फालोअप कराने हेतु अधिकतम रू0 175.00 प्रति आपरेशन की दर से धनराशि प्रदान किया जाना अनुमन्य है।

2. **मोतियाबिन्द के अतिरिक्त होने वाले नेत्र रोगो (डायबेटिक रेटिनोपैथी में लेज़र ट्रीटमेन्ट, ग्लूकोमा आपरेशन, कार्निया ट्रान्सप्लान्टेशन, विट्रियोरेटिनल सर्जिरी तथा ट्रीटमेन्ट आफ चाईल्डहूड ब्लान्डनेस) के आपरेशन एवं इलाज की सुविधा (एच–1.2)**

- वर्ष 2009–10 से भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत मोतियाबिन्द आपरेशनों के अतिरिक्त नेत्रों में होने वाले अन्य रोगों जैसे (डायबेटिक रेटिनोपैथी में लेज़र ट्रीटमेन्ट, ग्लूकोमा आपरेशन, कार्निया ट्रान्सप्लान्टेशन, विट्रियोरेटिनल सर्जिरी तथा ट्रीटमेन्ट आफ चाईल्डहुड ब्लाइन्डनेस) के इलाज हेतु लक्ष्य प्राप्त हो रहे है।
- उपरोक्त रोगों के इलाज हेतु अलग से एक रजिस्टर बनाये जायेंगें जिसका प्रारूप भारत सरकार की नई गाइड–लाइन में उपलब्ध है।
- उपरोक्त रोगों के इलाज हेतु स्वम् सेवी संस्थाओं के चिकित्सालयों को ग्लूकोमा आपरेशन, डायबेटिक रेटिनोपैथी का लेजर द्वारा इलाज, कार्निया ट्रान्सप्लान्टेशन, विट्रियोरेटिनल सर्जिरी तथा ट्रीटमेन्ट

.....5

आफ चाईल्डहुड ब्लाइन्डनेस हेतु प्रति मरीज रू0 1000.00 की धनराशि अन्य रोगो के इलाज हेतु चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निर्धारित अभिलेख प्राप्त होने के उपरान्त प्रदान की जानी है। इस सम्बन्ध में किये गये आपरेशनों का बीमारीवार विवरण तथा उन पर व्यय धनराशि का विवरण भी प्रतिमाह उपलब्ध कराना जनपदों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

3. **स्कूलों मे नेत्र परीक्षण व चश्मों का वितरण (एच–1.3)**

- प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (ब्लाक) एवं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अन्तर्गत स्कूलों मे 8–14 वर्ष तक के स्कूल जाने वाले बच्चों की नजर की स्क्रीनिंग की जायेगी। जिन बच्चों की नजर कमजोर पायी जायेगी उन्हे ब्लाक स्तरीय प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर नेत्र परीक्षण हेतु रेफर किया जायेगा तथा जांचोपरान्त मुफ्त चश्मा दिया जाएगा।
- ब्लाक स्तर पर नियुक्त आप्टोमेट्रिस्टों द्वारा नजर की जांच कर चश्मे का नम्बर निर्धारित किया जायेगा ।
- भारत सरकार द्वारा चश्मे की लागत अधिकतम रू0 200.00 निर्धारित की गई है।
- सभी स्कूलों के दो–दों अध्यापक/अध्यापिकाओं को नेत्र परीक्षण करने का प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। जिन बच्चों के आँख की रोशनी कम है उन्हे नजदीक के सरकारी विज़न सेन्टर (जहां पर नेत्र परीक्षण का कार्य आप्टोमेट्रिस्ट द्वारा किया जाता है) में अध्यापक के माध्यम से या स्कूल स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम में स्कूलों में जाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा रेफर किया जायेगा। रेफर किये गये बच्चों को आप्टोमेट्रिस्ट द्वारा किये गये नेत्र परीक्षणों उपरान्त निःशुल्क चश्मा वितरण कार्ड पर दिये गये सही नम्बर के आधार पर जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा चयनित दुकान के द्वारा कार्ड लेकर निःशुल्क प्रदान किया जायेगा। कार्ड के एक भाग को पूर्व निर्धारित दर पर भुगतान हेतु आपूर्तिकर्ता द्वारा जिला कार्यक्रम प्रबन्धक (अंधता) को उपलब्ध कराया जायेगा। जिला कार्यक्रम प्रबन्धक (अंधता) आपूर्तिकर्ता द्वारा उपलब्ध कराये गये सभी कार्ड बिल के साथ प्राप्त करने पर नियमानुसार भुगतान एक सप्ताह के भीतर करना सुनिश्चित करेगे।
- जनपद का हर आप्टोमेट्रिस्ट अपने स्तर पर स्कूली बच्चों के नेत्र परीक्षण तथा दिये गये चश्मों का एक रजिस्टर अलग से बनायेगें तथा अपडेट करते रहेंगें जिसे निरीक्षण के समय प्रस्तुत किया जायेगा।

4. **नेत्रदान/नेत्र बैंको हेतु रिकरिंग ग्रान्ट (एच–1.8)** –

- जिन जनपदो मे नेत्र बैंक है, लक्ष्य निर्धारित किये गये है आई कलेक्शन हेतु नेत्र बैंक को रू0 1500/– प्रति जोड़ी अथवा नेत्रदान केन्द्र को रू0 1000/– प्रति जोड़ी देय होगा। नेत्र प्रत्यारोपण (किरैटोप्लास्टी) का भुगतान रू0 1000/– प्रति आपरेशन मोतियाबिन्द आपरेशन के अतिरिक्त होने वाले नेत्र रोगो हेतु आवंटित धनराशि मे से किया जाना है।

5. **प्रचार–प्रसार (एच–1.10)**

- अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यक्रम के प्रचार–प्रसार हेतु एक वर्ष में तीन महत्वपूर्ण दिवस मनाये जाने हैं:–
    1. नेत्रदान पखवाडा (दिनांक 25 अगस्त से 8 सितम्बर तक)
    2. विश्व दृष्टि दिवस (अक्टूबर माह के दूसरे बृहस्पतिवार को)
    3. विश्व ग्लूकोमा डे (12 मार्च प्रति वर्ष)
- उक्त दिवसों को मनाये जाने हेतु तद्समय भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार जनपद स्तर पर प्रचार–प्रसार हेतु उपलब्ध कराई गई धनराशि का प्रयोग किया जाना है।

6. **प्रदेश के चिकित्सालयो में उपलब्ध नेत्र चिकित्सा के उपकरणों का रखरखाव एवं मरम्मत (एच–1.12)**

- अंधता निवारण कार्यक्रम से संबंधित मोतियाबिन्द आपरेशनों में प्रयोग होने वाले उपकरणों को हर सम्भव क्रियाशील रखना सुनिश्चित किया जाना है।
- उक्त के लिए मोतियाबिन्द आपरेशन हेतु आवंटित धनराशि के अतिरिक्त प्रत्येक जनपद को धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है।

---6

- इस धनराशि से उपकरणों को बनाने वाली कम्पनी से वार्षिक सर्विस अनुबन्ध करा लिया जाये तथा जिनके अनुबन्ध न हो सके उनका नियमानुसार मरम्मत सुनिश्चित की जायें।

7. **प्रदेश के जनपदों मे 100 विजन सेन्टर्स की स्थापना (एच–2.3)**

- प्रदेश के अधिकांश प्राथमिक / सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों मे स्थापना के समय ही आवश्यक उपकरण प्रदान किये गये थे पर इनके प्रतिस्थापन की कोई व्यवस्था नही थी। इनमे से कई केन्द्रों पर उपकरण बहुत पुराने हो गये है जिनके प्रतिस्थापन की कार्यवाही इस मद से की जानी है।
- प्राथमिक नेत्र उपचार को प्राथमिकता देते हुए विजन सेन्टर हेतु धनराशि प्राप्त होते ही जिन प्रा0 स्वा0 केन्द्रों पर आप्टोमेट्रिस्ट उपलब्ध हो तुरन्त उपकरण क्रय कर विजन सेन्टरों की स्थापना की जाये।
- प्रदेश में 100 विजन सेन्टरों की स्थापना हेतु अनुमति प्राप्त हुई हैं। जनपदों मे चयनित प्रा0 / सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों अथवा स्वैच्छिक संस्था के विजन सेन्टर का चिन्हिकरण कर आवश्यकतानुसार स्थापित करने के लिए जनपद को अधिकृत किया जाता हैं।
- उपकरणों को प्रतिस्थापित करने के लिए प्रति केन्द्र रू0 50,000/– की व्यवस्था की गयी है।
- किट मे निम्नलिखित उपकरण सम्मिलित हैं :
  1. टोनोमीटर (स्वार्डस)
  2. डायरेक्ट ऑपथैल्मोस्कोप
  3. स्ट्रीक रेटिनोस्कोप
  4. प्लेन मेरर फार रेटिनोस्कोपी
  5. बाइनोमैग / मैग्नीफाईंग लूप्स
  6. लिड स्पेकुलम
  7. फारन बाडी स्पड एण्ड निडिल
  8. इलूमिनेटेड विजन टेस्टिंग ड्रम
  9. ट्रायल सेट विथ ट्रायल फ्रेम्स
  10. स्नेलेन चार्ट
  11. नियर विजन चार्ट फार चिल्ड्रेन
  12. बैटरी ऑपरेटेड टार्च–2
  13. फर्निशिंग एण्ड फिक्शचर्स
  14. स्लिट लैम्प (आप्शनल)
  15. एपिलेशन फोंसिप्स ज़ाईलोकेन आई ड्राप्स 4 प्रति0।

  उपलब्ध धनराशि से भारत सरकार द्वारा अनुमोदित उपरोक्त उपकरणों का क्रय सुनिश्चित किया जायेगा।

- उपरोक्त सामग्री का क्रय विभागीय रेट कॉन्टेक्ट एवं शासन द्वारा अनुमोदित स्टोर पर्चेज रूल्स के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जाय।

11. उपर्युक्त कार्यक्रमों हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का वित्तीय प्रबन्धन एवं क्रय आदि में उक्त कार्यक्रमों हेतु भारत सरकार के दिशा–निर्देश (बेवसाइट: www.mohfw.nic.in तथा www.npcb.nic.in पर उपलब्ध है) का अनुपालन किया जाए।

12. संविदा कर्मियों के मानदेय के मद में अवमुक्त की जा रही धनराशि से मानदेय का भुगतान उन्हीं संविदा कर्मियों को किया जाएगा जिनका मुल्यांकन करने के पश्चात् वर्ष 2012–13 के लिए अनुबन्धित किया गया हो। मानदेय का भुगतान संविदा कर्मियों का वर्ष 2012–13 में अनुबन्धित होने के उपरान्त कार्य प्रारम्भ की तिथि से उनके द्वारा किये गये सन्तोष जनक कार्य के आधार पर किया जाए।

13. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में शासी निकाय की बैठक में लिए गए निर्णय के क्रम में भारत सरकार द्वारा निर्गत "ऑपरेशनल गाईडलाइन फॉर फाइनेन्सियल मैनजमेण्ट" प्रदेश में दिनांक 01.04.2012 से लागू की जा चुकी है तथा इस सम्बन्ध में आवश्यक दिशा–निर्देश आपको पूर्व में ही उपलब्ध कराए जा चुके हैं। ऑपरेशनल गाईडलाइन फॉर फाइनेन्सियल मैनजमेण्ट" सुलभ सन्दर्भ हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की वेबसाइट-www.upnrhm.gov.in पर उपलब्ध है।

14. कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई धनराशि का उपयोग, **रिपोर्ट ऑफ कम्प्ट्रोलर एण्ड ऑडिटर जनरल ऑफ इण्डिया–2011** (सी0ए0जी0 रिपोर्ट) जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की वेबसाइट-www.upnrhm.gov.in पर उपलब्ध है, की आपत्तियों एवं सुझावों को दृष्टिगत रखते हुए किया जाये।

15. जनपदों में स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा किए गए ऑपरेशनों के भुगतान से पूर्व नियमानुसार भौतिक सत्यापन जनपद में उपलब्ध कुल नेत्रशल्यकों की संख्यानुसार इस प्रकार विभक्त किया जाए कि प्रत्येक नेत्र शल्यक द्वारा बराबर–बराबर भौतिक सत्यापन किए जायें। नेत्र शल्यक के अतिरिक्त किसी भी अधिकारी/कर्मचारी (जिला कार्यक्रम प्रबन्धक/ऑप्टोमेट्रिस्ट) द्वारा किए गए सत्यापन पर जिला कार्यक्रम अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना अति आवश्यक है।

16. स्वैच्छिक संस्थाओं को दिनांक 01.04.2012 के उपरान्त किए गए ऑपरेशन के भुगतान तभी किए जाएगें जबकि वे भारत सरकार द्वारा तैयार किए गए एम0आई0एस0 सिस्टम में उक्त ऑपरेशनों का डाटा कम्प्यूटर द्वारा भारत सरकार की वेबसाइट पर अपलोड करेगें जिसका प्रशिक्षण भारत सरकार द्वारा शीघ्र प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

17. राज्य कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत किए गए कार्यों का मासिक भौतिक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट लाभार्थियों के नाम, पता तथा फोटो सहित जनपदों से प्राप्त कर उक्त की सी0डी0 प्रत्येक माह की 10 तारीख तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें। जिससे उक्त को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की वेबसाइट पर लोड किया जा सके।

18. राज्य कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम द्वारा कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य एवं जनपद स्तर पर वर्ष 2012–13 के लिए अनुबन्धित संविदा कर्मियों की लाइन लिस्ट (संविदा कर्मी का नाम, पदनाम, कार्यस्थल का पता, शैक्षिक योग्यता एवं संविदा पर अनुबन्धित कर कार्य प्रारम्भ करने का दिनांक, मोबाइल नम्बर/ई–मेल एड्रेस (यदि हो), मासिक मानदेय की धनराशि, फोटोग्राफ) ई–मेल mdupnrhm@gmail.com पर एक सप्ताह के अन्दर भेजा जाना सुनिश्चित किया जाएगा अथवा उक्त की सी0डी0 तैयार कर भेजा जाए ताकि उसे भारत सरकार के निर्देशानुसार राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की वेबसाइट-www.upnrhm.gov.in पर अपलोड किया जा सके।

19. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। समयान्तर्गत अनुपालन न होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकरियों के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन को सन्दर्भित कर दिया जाएगा।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय,

13/07/12

(मुकेश कुमार मेश्राम)
मिशन निदेशक

पत्र सं0: एस0पी0एम0यू0/NPCB/दि0 नि0/4/2012–13/ तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
4. क्षेत्रीय निदेशक, स्वास्थ्य, भारत सरकार, लखनऊ।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. राज्य कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
7. समस्त, जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।

(डॉ0 अनिल कुमार मिश्र)
महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कार्यक्रम

Head Name - H-National Blindness Control Programme

District wise list of Allotment of Funds for the year 2012-13.

Activities District Level

H.1.1	Allocation for Cataract Operations Govt	66619000
H.1.2	50% Allocation for Other Eye Diseases	8500000
H.1.3	50% Allocation for Free Spectacles	10000000
H.1.8	50% Allocation for Recurring Grant to	1125000
H.1.10	50% Allocation for IEC of Eye donation	3750000
H.1.12	50% Allocation for Maintenance/AMC	4550000
H.2.3	100% Allocation for Purchase of	5000000
	Total (In Rs.)	99544000

District-wise Allocation

		50%	50%	50%	50%	50%	50%	100%	
		H.1.1	**H.1.2**	**H.1.3**	**H.1.8**	**H.1.10**	**H.1.12**	**H.2.3**	**Total**
Sl.	**District Name**	**Cataract Operatioi**	**Other Eye Diseases**	**Free Spect. To**	**Eye Dona**	**IEC of EDF, W**	**Maintenanc**	**Vision Centi**	**Allotment for**
1	Agra	1462307	186298	219497	112500	50000	80000	100000	2210602
2	Firozabad	833387	106389	125099		50000	75000	100000	1289874
3	Mainpuri	616583	78842	92552		50000	50000	50000	937977
4	Mathura	848451	108303	127360		50000	65000	100000	1299113
5	Aligarh	1226283	156310	184076	75000	50000	50000	100000	1841668
6	Kashi Ram Nagar	480033	61492	72058		50000	12500	50000	726084
7	Etah	587883	75196	88241		50000	37500	100000	938820
8	Hathras(M.M.Nagar)	522628	66904	78447		50000	25000	50000	792980
9	Azamgarh	1540938	196289	231307		50000	65000	100000	2183534
10	Ballia	1076033	137219	161518		50000	90000	100000	1614771
11	Mau	736056	94022	110489		50000	65000	100000	1155566
12	Allahabad	1989350	253264	298612	112500	50000	150000	100000	2953725
13	Pratapgarh	1059346	135099	159019		50000	75000	100000	1578464
14	Fatehpur	878773	112156	131909		50000	90000	50000	1312838
15	Kaushambi	533017	68224	80012		50000	25000	0	756253
16	Bareilly	1490486	189879	223733	75000	50000	75000	100000	2204098
17	Badaun	1239269	157960	186024		50000	90000	0	1723253
18	Filibhit	680020	86902	102074		50000	65000	50000	1033996
19	Shahjahanpur	1002142	127831	150432		50000	65000	50000	1445405

District-wise Allocation		50%	50%	50%	50%	50%	50%	100%	
		H.1.1	H.1.2	H.1.3	H.1.8	H.1.10	H.1.12	H.2.3	Total
Sl.	District Name	Cataract Operatio	Other Eye Diseases	Free Spect. To	Eye Dona	IEC of EDF, W	Maintenanc	Vision Cent	Allotment for
20	Banda	600675	76821	90165		50000	50000	0	867660
21	Chitrakut	330693	42517	49635		50000	25000	0	497844
22	Hamirpur	368547	47327	55316		50000	65000	0	586190
23	Mahoba	292448	37658	43894		50000	50000	0	474000
24	Gonda	1145379	146030	171927		50000	65000	100000	1678337
25	Bahraich	1161028	148018	174276		50000	65000	100000	1698322
26	Shravasti	372053	47773	55847		50000	25000	0	550673
27	Balrampur	717355	91646	107678		50000	37500	50000	1054179
28	Barabanki	1087526	138679	163239		50000	90000	100000	1629444
29	Faizabad	823907	105184	123676		50000	50000	100000	1252767
30	Ambedkar Nagar	800662	102231	120186		50000	65000	100000	1238078
31	Sultanpur	764690	97660	114785		50000	65000	100000	1192135
32	C.P.Sahujimaharaj Nagar	500681	64116	75157		50000	15000	0	704954
33	Basti	821504	104879	123310		50000	75000	100000	1274693
34	Siddharthnagar	852347	108798	127943		50000	50000	100000	1289087
35	Sant Kabir Nagr	572235	73207	85894		50000	12500	100000	893836
36	Deoria	1034283	131914	155255	37500	50000	75000	100000	1583952
37	Kushinagar	1188558	151516	178413		50000	50000	100000	1718488
38	Gorakhpur	1480812	188650	222277		50000	100000	100000	2141738
39	Maharajganj	889682	113542	133543		50000	50000	100000	1336766
40	Jalaun	557691	71359	83710		50000	50000	0	812760
41	Jhansi	667813	85351	100247		50000	75000	100000	1078411
42	Lalitpur	406532	52153	61027		50000	50000	0	619712
43	Etawah	527108	67474	79123		50000	50000	100000	873705
44	Farrukhabad	630088	80558	94576		50000	50000	50000	955222
45	Kanpur(Urban)	1526393	194441	229125		50000	65000	100000	2164959
46	Kanpur(Dehat)	599181	76631	89942		50000	90000	50000	955754
47	Kannuaj	553405	70815	83073		50000	25000	0	782293
48	Auraiya	458087	58704	68758		50000	25000	0	660548
49	Hardoi	1365690	174022	204996		50000	75000	100000	1969708
50	Kheri	1339717	170722	201101		50000	75000	100000	1936540
51	Lucknow	1531588	195101	229902	187500	50000	270000	100000	2564090

District-wise Allocation		50%	50%	50%	50%	50%	50%	100%	
		H.1.1	H.1.2	H.1.3	H.1.8	H.1.10	H.1.12	H.2.3	Total
Sl.	District Name	Cataract Operatio	Other Eye Diseases	Free Spect. To	Eye Dona	IEC of EDF, W	Maintenanc	Vision Cent	Allotment for
52	Raibareilly	1136224	144867	170555		50000	100000	100000	1701646
53	Sitapur	1493538	190267	224189		50000	65000	100000	2122994
54	Unnao	1038308	132426	155854		50000	65000	100000	1541588
55	Bulandshahar	1167780	148876	175290		50000	75000	100000	1716947
56	Gautambudh Nagar	558989	71524	83910	150000	50000	40000	0	954424
57	Gaziyabad	888383	113377	133350		50000	100000	50000	1335110
58	Panchsheel Nagar	667618	85327	100209		50000	5000	0	908154
59	Meerut	1150704	146707	172730	112500	50000	50000	100000	1782640
60	Bagpath	434647	55725	65244		50000	25000	0	630615
61	Muzaffar Nagar	713849	91201	107153		50000	75000	100000	1137204
62	Prabudh Nagar	667618	85327	100209		50000	5000	0	908154
63	Saharanpur	1156353	147424	173573		50000	65000	50000	1642350
64	Mirzapur	832673	106298	124987		50000	40000	100000	1253958
65	Sonbhadra	621712	79494	93325		50000	65000	100000	1009531
66	Sant Ravi das Nagar	518797	66418	77872		50000	25000	0	738087
67	Bijnore	1229659	156739	184579		50000	65000	100000	1785977
68	Moradabad	925653	118112	138946	75000	50000	90000	100000	1497712
69	Bheem Nagar	667618	85327	100209		50000	5000	0	908154
70	Rampur	779559	99550	117014		50000	90000	100000	1236122
71	Jyoti Ba Phule Nagar	613791	78487	92130		50000	25000	0	859409
72	Ghazipur	1209271	153648	181514		50000	50000	100000	1744434
73	Varanasi	1229075	156164	184494	187500	50000	65000	100000	1972233
74	Jaunpur	1494058	189833	224271		50000	90000	150000	2198161
75	Chandauli	651775	82814	97939		50000	40000	0	922528
	Total Uttar Pradesh	**66619000**	**8500000**	**10000000**	**1125000**	**3750000**	**4550000**	**5000000**	**99544000**